Price Index Number for Industrial Workers on Base 1960-100, which is also applicable for Central Government employees and workers. The price of footwear items has not fixed at Rupees Nineteen in any of the Industrial Centres from which the figures for compiling the All India Consumer Price Index are collected.

(b) The actual prices of footwear consistent with the Base year specification are already being utilised for compilation of Consumer Price Index.

बैंकों द्वारा दिए गए अप्राप्य ऋण

591. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, सिंडीकेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा तथा पंजाब और सिंध बैंक का पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना रुपया किस क्षेत्र में डूब गया है जो न तो वसूल हो रहा है और न ही वसूली योग्य है;

(ख) क्या यह सच है कि समय की अवधि समाप्त हो जाने पर भी वसूली के लिये न तो केस दायर किये जा रहे हैं और न ही नोटिस भेजे जा रहे हैं; यदि हां, तो ऐसे मामले कितने हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इन बैंकों ने दिल्ली में कारोबार के लिये ऐसे लोगों को ऋण दिया है जिनका पता नहीं चल रहा है; यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और उनमें कितना रुपया फंसा हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंकों की आंकड़ा सूचना प्रणाली से उस प्रकार सूचना प्राप्त नहीं होती जिस प्रकार प्रश्न में पूछी गई है। इसके अलावा, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में निर्धारित लेखाओं के प्रकाशन के फार्मेट के अनुसार बैंकों को उन अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों को प्रकट करने से सुरक्षा प्रदान की गई है, जिनके लिए लेखा परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक विधिवत रूप से व्यवस्था कर ली गई हो। बैंकों से अपना बकाया रकमों को वसूल करने के लिए हर संभव प्रयत्न करने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन, यह जरूरी नहीं है कि ऐसे प्रयत्नों में कानूनी कार्रवाई शामिल हो। उदाहरण के लिए नवीकरण, शोधन के कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण, जमा-राशियों का समायोजन आदि के मामले में अदालत का सहारा नहीं लिया जाता। इसी प्रकार, बैंकों से ऋणकर्ताओं की पहचान और प्रयोजन की अर्थक्षमता तथा उनके द्वारा दी गई ऋण सहायता के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने की भी अपेक्षा की जाती है। जब कभी भारतीय रिजर्व बैंक अथवा सरकार का ध्यान स्पष्ट रूप से बुरे इरादे से दिये गये ऋणों अथवा वसूली न करने अथवा ऋण की माफी के विशिष्ट मामलों की ओर दिलाया जाता है, तब उचित दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए, तथ्यों को सिद्ध करने के वास्ते उनकी जांच की जाती है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में घोटाला

592. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या वित्त मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीकृत बैंकों की कितनी शाखाओं में भारत में और विदेशों में कितने रुपए का घोटाला हुआ, कितने रुपए की चोरी हुई और इन बैंकों में डकैतियों के दौरान कितना रुपया चला गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, गत तीन वर्षों में भारत में और भारत के बाहर सरकारी क्षेत्र

के बैंकों की शाखाओं की संख्या के संबंध में सूचना नीचे दी गई है।

वर्ष	भारत में शाखाओं की संख्या	भारत के बाहर शाखाओं की संख्या
1983 .	31,996	139
1984 .	33,565	140
1985 .	35,814	138

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक उसे सभी प्रकार की धोखा-धड़ियों की सूचना देते हैं जिनमें अन्यों के अलावा गबन, चोरी, अपबोजन, संपत्ति का रूपांतरण, ठगी, रकमों का कम होना, अनियमितताएं, विश्वास भंग, लेखा-पुस्तकों की हेरा-फेरी, लिखतों को धोखाधड़ी से भुनाना/बदलना, बैंकों के पास दृष्टि-बंधक रखी प्रतिभूतियों के संबंध में अनधिकृत रूप से कार्रवाई करना आदि शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि धोखा-धड़ियों के आंकड़े रखने की वर्तमान प्रणाली में गबन, चोरी आदि की राशि के संबंध ; श्रेणी-वार सूचना नहीं रखी जाती है। अलबत्ता, 1983, 1984 और 1985 के वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत में और भारत के बाहर हुई धोखा-धड़ियों के मामलों की कुल संख्या के सम्बन्ध में, चाहे घटना की तारीख कोई भी रही हो, समेकित सूचना नीचे दी गई है :-

वर्ष	धोखाधड़ियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (करोड़ रु०)
1983	2371	30.20
1984	2469	45.75
1985	2189	114.63

(आंकड़े अनन्तिम)

टिप्पणी : ऊपर दिखाई गई अन्तर्ग्रस्त राशि अनिवार्यतः बैंकों को होने वाली वास्तविक हानि की द्योतक नहीं है।

1983 1984, और 1985 के दौरान भारत में और भारत के बाहर राष्ट्रीयकृत बैंकों में हुई डकैती/लूटपाट की वारदातों की संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	डकैती/लूटपाट की वारदातों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि
1983	80	94.68 लाख रुपये + 18,19,850 यूएस एचएस + 8,156.40 पौंड
1984	81	130.70 लाख रुपये + 31,020 हांगकांग डालर 2,33,963 केएसएच 2,620 पौंड
1985	78	156.79 लाख रुपये + 1,85,176.28 पौन्ड

(आंकड़े अनन्तिम)

National Vocational Training Institute for Women, New Delh

593. SHRI NATHA SINGH: Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to the answer to Unstarred Question No. 1638 given in the Rajya Sabha on the 9th August, 1985 and state:

(a) whether the relaxation of the ban on filling up of the posts of Assistant Training Officers (Dress Making) has since been sought and obtained;

(b) if so, whether the posts have since been filled on the basis of the tests and interviews held in October, 1984; and